भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 1065
(जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया गया)

कार्यस्थलों पर महिलाओं को सहायता देना

1065. श्रीमती संजना जाटवः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कार्यस्थल पर महिलाओं के विचारों को जानकर और विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं को पेश आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए डाटा आधारित विश्लेषण का उपयोग करके तथा जीवन के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की सहायता करने वाली नीतियों को सरल और कारगर बनाकर विविधता, समानता और समावेशन के संपूर्ण प्रयास करने का है;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई/की जाने वाली पहलों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख):
1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, सुदृढ़ और गैर-भेदभावपूर्ण वातावरण का पोषण करने के इरादे से कई प्रावधान हैं जो निम्नानुसार हैं;

(क) कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पठित, कंपनी अधिनियम की धारा 149 के दूसरे परंतुक में 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की शेयर पूंजी वाली या 300 करोड़ रुपये या उससे अधिक के टर्नओवार वाली प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी और अन्य सार्वजनिक कंपनी के लिए कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति करना अनिवार्य कर दिया गया है।

(ख): वार्षिक रूप से फ़ाइल वित्तीय विवरण के साथ संलग्न की जाने वाली अपनी बोर्ड रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट कंपनियों को यह विवरण शामिल करना होता है कि कंपनी ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 [2013 का 14] के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित उपबंधों का अनुपालन किया है

जारी.....2/-

2. इसके अतिरिक्त, सरकार ने महिला कर्मचारियों और महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों का समर्थन करने के लिए कई पहल की हैं, जो निम्नानुसार हैं:

(क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए अन्य उद्यमियों की तुलना में महिलाओं को अतिरिक्त लाभ दिए गए हैं।

(ख) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), जो एक प्रमुख क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है, जिसमें पर्याप्त लाभार्थी महिलाएं होती हैं जिन्हें गैर-विशेष श्रेणी की तुलना में अधिक सब्सिडी प्रदान की जाती है

(ग) स्टैंड-अप इंडिया (एसयूआई) योजना का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से प्रति बैंक शाखा कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच के ऋण की सुविधा प्रदान करना है।

(घ) दिनांक 27.06.2024 को 'यशस्वीनी' नामक एक पहल शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों के लिए अभियान चलाना और श्रेणी-II/III शहरों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उनकी क्षमता का निर्माण करके महिलाओं को सशक्त बनाना है।

(ङ) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और मजदूरी संहिता, 2019 में क्रमशः महिला कामगारों को मातृत्व लाभ और लिंग के आधार पर भेदभाव न करने के संबंध में प्रावधान हैं।

(च) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (एसएच एक्ट) कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के निवारण के लिए एक विधायी ढांचे का प्रावधान करता है। अधिनियम में आंतरिक समिति (आईसी) के गठन का प्रावधान है जहां कर्मचारियों की संख्या 10 या उससे अधिक है और कार्यस्थलों के मामलों से निपटने के लिए अधिनियम के तहत अधिसूचित जिला अधिकारी द्वारा स्थानीय समिति (एलसी) के गठन के लिए भी अधिदेश दिया गया है जहां कर्मचारियों की संख्या 10 से कम है या जब शिकायत नियोक्ता के विरुद्ध है।

(छ) देश में उपलब्ध आईसी और एलसी के विवरण के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करने के साथ-साथ पीड़ित महिला को अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए, सरकार द्वारा 29.08.2024 को लैंगिक उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक-बॉक्स (शी-बॉक्स) का एक संशोधित संस्करण शुरू किया गया था। यह भारत सरकार का प्रत्येक महिला को, चाहे वह संगठित अथवा असंगठित, निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत हो, एकल विंडो पहुंच प्रदान करने का प्रयास है ताकि लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायत के पंजीकरण को सुकर बनाया जा सके।

(ज) मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत, धारा 11 (क) में कहा गया है कि पचास या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान में क्रेच की सुविधा होगी।

(झ) कामकाजी माताओं को अपने बच्चों की उचित देखभाल और सुरक्षा देने में मदद करने के लिए, बच्चों को डे केयर सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने के लिए 01 अप्रैल 2022 से केंद्रीय प्रायोजित योजना 'पालना' शुरू की गई थी।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

*****